न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 42/18 (223 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2018/00173

उनवान

1. रामवती पत्नी रामवीर } जाति ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम रणछोडपुरा तहसील राजाखेडा जिला
2. रामवीर पुत्र बंगाली } धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. रामलली पुत्री गणेशी जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम रणछोडपुरा तहसील राजाखेडा।
2. रामखिलाडी } पुत्रगण गणेशी जाति ब्राम्हण निवासीगण ग्राम रणछोडपुरा तहसील राजाखेडा।
3. जगदीश }
4. हाकिम सिंह पुत्र स्व0 श्री राम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम रणछोडपुरा तहसील राजाखेडा।
5. रामसेवक पुत्र रामगोपाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम रणछोडपुरा तहसील राजाखेडा।

..... रैस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा दिनांक 11.05.2018 उनवानी रामवती बनाम कल्याण सिंह मु0न0 07/2016

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री निशान्त भार्गव उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री राजेन्द्र सिंह राणा उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 25.10.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा के आदेश दिनांक 11.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 171 स्थित ग्राम गढी टडावली तहसील राजाखेडा के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 05 अभिलिखित खातेदार कृषक हैं तथा काबिज हैं। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। विवादित आराजी में एक पुख्ता कुँआ व नहची है। जिससे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 05 के खेतो की सिंचाई होती है तथा उनके आवागमन हेतु रास्ता है। प्रतिवादी संख्या 01 लगयात 04 प्रतिवादी संख्या 05 के सहयोग से विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। अतः वाद प्रस्तुत

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

कर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई आदेश दिनांक 14.02.2008 से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गयी, जो दिनांक 11.08.2015 को आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधिवत सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित की गयी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुनवाई का मौका दिये बिना राजस्व लोक अदालत में अपीलाधीन आदेश से वादीगण अपीलाण्ट का दावा पुनः खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादीगण अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। अधीनस्थं न्यायालय ने न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 11.08.2015 में दिये गये निर्देशो की कोई पालना नहीं की गयी है। न्यायालय हाजा ने स्पष्ट निर्देश दिये थे कि प्रकरण में टीम बनाते हुये मौके की पैमाईश कराकर विधिवत निर्णय पारित करें। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो कोई पैमाईश करायी एवं सीधे प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखकर बिना पक्षकारो को सूचित किये एवं बिना सुनवाई अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। जबकि राजस्व लोक अदालत में पक्षकारो की सहमति/राजीनामा के आधार पर ही निर्णय पारित हो सकते हैं। परन्तु हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान के बीच कोई राजीनामा/समझौता नहीं हुआ है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधिवत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। मजमे आम उभयपक्ष की उपस्थिति में हुआ है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। परन्तु न्यायालय के इस प्रश्न पर कि राजस्व लोक अदालत में पक्षकारान के राजीनामा/समझौता से ही निर्णय पारित होते हैं एवं हस्तगत प्रकरण में कोई राजीनामा उपलब्ध नहीं है एवं पक्षकार आदिनांक तक प्रकरण को प्रतिवाद कर रहे हैं, तो अभिभाषक रैस्पो0 ने प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने में सहमति जताई। दौराने बहस आदेशिका पर सहमति के हस्ताक्षर कराये गये।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 11.08.2015 में अधीनस्थ न्यायालय को स्पष्ट निर्देश थे कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 171 व खसरा नम्बर 172 की संयुक्त पैमाईश, एक राजस्व टीम गठित कर, करवाई जावें। तत्पश्चात् रिपोर्ट पैमाईश एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का विधिवत परीक्षण किया जाकर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावें। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो प्रकरण में कोई टीम गठित कर मौके की पैमाईश करायी गयी है एवं ना ही उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर ही दिया गया है एवं प्रकरण में पूर्व नियत पेशी दिनांक 07.05.2018 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई तारीख पेशी नियत नहीं की जाकर, प्रकरण दिनांक 11.05.2018 को सीधे राजस्व लोक अदालत में रखकर अन्तिम तौर पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी

निस्तारण कर दिया। उक्त तारीख पेशी बाबत् उभयपक्ष को सूचना देने वाला कोई नोटिस/सम्मन भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है एवं ना ही अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर ही पक्षकारान की उपस्थिति के हस्ताक्षर अंकित हैं। इससे स्पष्ट जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत की हडबडी में बिना न्यायिक प्रक्रिया पालन किये जल्दबाजी में निर्णय पारित किया है। लिहाजा अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा के निर्णय दिनांक 11.05.2018 अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण में न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 11.08.2015 की पूर्ण पालना (पैमाईश) कराते हुये एवं उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करें। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.11.2023 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 25.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर